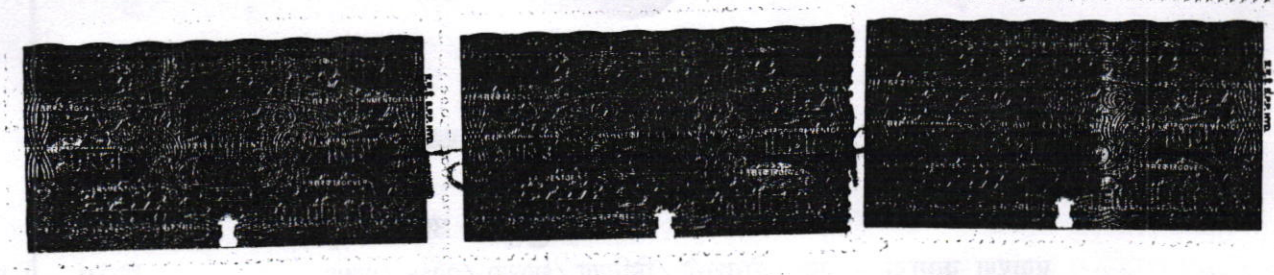

(27)

माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/0792

कलाबाई पत्नी श्री कन्हैयालाल किरार, आयु 54 वर्ष, निवासी ग्राम सेउ, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म0प्र0)

-- आवेदक

श्री .... द्वारा 29-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
29-1-18

बनाम

1- गुटई पुत्र श्री लालचन्द, आयु 67 वर्ष

2- बाबूलाल पुत्र श्री गुटई अहिरवार, आयु 33 वर्ष, निवासीगण - ग्राम सेउ, तसहील नटेरन जिला विदिशा (म0प्र0)

2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा (म0प्र0)

S. L. Dhakad Adv
29/1/18

-- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2017 पारित न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 07/अ-29/2016-17

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1- यहकि, ग्राम काशीपुर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 163/1/ड रकवा 0.846 है0, पूर्व में अनावेदक क्रमांक 1 गुटई पुत्र श्री लालचन्द के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर सरकारी अभिलेख में दर्ज है व खसरा वर्ष 2007-11 अनेक्चर-पी-1 है। उक्त खसरे में कही पर भी शासकीय पट्टा भूमि एवं विक्रय वर्जित का उल्लेख नहीं है, जो उक्त खसरा वर्ष से स्पष्ट है।

शाखा प्रभारी (रा.अं.)
27-1-18

2- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 गुटई द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि आवेदिका कलावती बाई को दिनांक 12.05.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अनावेदक क्रमांक 1गुटई के पुत्र श्री बाबूलाल की उपस्थिति में सहमति के आधार पर राशि 2,31,000/-रूपये में विक्रय पत्र सम्पादित किया व विक्रयपत्र अनेक्चर-पी-2 है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू0रा0/2018/0792 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08.02.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ एवं अना0 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। आलोच्य आदेश को देखने से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अना0 क0 1 को विवादित भूमि शासकीय पट्टे पर प्रदाय की गई थी। जिसका विक्रय उसके द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया है। उनके द्वारा तर्क हेतु समय चाहा गया है। न्यायहित में समय प्रदान किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)158(3) तथा 165(7)(ख) – धारा 158(3) के अधीन भूमि का अंतरण – धारा 165 (7) (ख) के उपबंधों के अध्यधीन है अर्थात कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है। न्यायदृष्टांत 2009 आर0एन0 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर आधारित है में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 165 (7)(ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई। 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है। यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	